**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2958**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन संबंधी समीक्षा**

**2958. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार इन मामलों के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में हाल ही में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की है;**

**(ख) चर्चा के दौरान क्या-क्या मामले उठाए गए और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा क्या-क्या विचार व्यक्त किए गए;**

**(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आस्तियों के विभाजन, आन्ध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाना, पोलावरम परियोजना, राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति, आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय संस्थानों की संस्थापना, उच्च न्यायालय का बंटवारा, आन्ध्र प्रदेश में विशेष रेलवे ज़ोन की स्थापना आदि, के संबंध में कोई सर्वसम्मति हुई है; और**

**(घ) इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

1. से (घ): आंध्र प्रदश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआर अधिनियम, 2014) की अनुसूची-XIII की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभाग के प्रतिनिधियों तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। एपीआर अधिनियम की अनुसूची-XIII के कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित मुद्दों तथा उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में विभिन्न शैक्षणिक तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में तेजी लाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया ।

\*\*\*\*\*\*